सं. ए-60011/14/2019-एमई/ट्रेनिंग

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 17 अगस्त, 2020

अधिसूचना

यह मंत्रालय अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एवं पीएच), कोलकाता में जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी और वरिष्ठ जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी के मौजूदा पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणिया, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर नियमों/आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां आधोहस्ताक्षरी को कक्ष सं. 503-ए, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011 में प्रस्तुत की जा सकती है और सॉफ्ट कॉपी kumar.pranav@nic.in पर भेजी जा सकती है।

कुमार प्रणव

(कुमार प्रणव)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 011-23061881

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 2020

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थय संस्थान, कोलकाता, समूग 'ग' पद भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध जन स्वास्थ्य नर्स के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में** जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 2019 होगा

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोज्यता:- ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचन के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और **वेतन मैट्रिक्स में लेवल** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**

   (क). जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं।

(ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी	11 (ग्यारह) * (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल–8 (आठ) में (रु. 47600-151100)	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उप-प्रभाग, केंद्र शासित क्षेत्र	अनिवार्य:- राज्य नर्सिंग परिषद के तहत पंजीकृत और मान्यताप्राप्त संस्थान से बी.एससी नर्सिंग। 1.सरकारी/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकाय में जन स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 (एक) वर्ष का कार्यकारी अनुभव। हिंदी एवं बंगाली की जानकारी रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताए शिथिलनीय है। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव

					लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से जिस पद पर नियुक्ति की जाती है, उसके लिए आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।	रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	(दो) वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श**

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।		किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं ।	विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित होंगे : 1) अपर निदेशक, अध्यक्ष 2) निदेशक एआईआई एच&पीएच द्वारा नामित एक ग्रुप 'क' अधिकारी (3) जन स्वास्थ्य नर्सिंग के सहायक प्रोफेसर-सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं ।

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक 2019

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह ग पद), भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध पब्लिक हैल्थ नर्स सीनियर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में वरिष्ठ जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, वरिष्ठ जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (समूह'क' पद) भर्ती नियम 2019 होगा।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयोज्यता-** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रयोज्य होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है।

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्ग	वेतन मेट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी	01 (एक)* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपित्रत अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपये) में लेवल-10 (दस)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन ग्रेडों से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो इसका संघटक	भर्ती के समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयेाग से परामर्श किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	पदोन्नति पाने वालों के लिए दो वर्ष (दो)	पदोन्नति द्वारा	जन स्वास्थ्य नर्स से पदोन्नति जो वेतन लेवल में 2 वर्ष की नियमित सेवा दे चुके है।	पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति(डीपीसी): 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य- अध्यक्ष 2. निदेशक, एआईआईएच एवं पीएच,कोलकाता द्वारा नामित किया जाने वाला एक समूह 'क' अधिकारी-सदस्य 3. जन स्वास्थ्य नर्सिंग के सहायक प्रोफेसर -सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य	पदोन्नति संबंधी डीपीसी हेतु